न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पुष्पा देवी बनाम देउ पत्नि मेघा गाडरी व अन्य

Online No. 2022/512

धारा 111–128 एल0आर0ए मुकदमा 355/2022

04.10.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो, नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 355/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी नारायण लाल हरिजन निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री देउ पत्नी मेघा गाडरी निवासी गाडरमाला (भोपालगढ़) तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वर लाल पुत्र श्री गोकल माली निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. बद्री लाल पुत्र श्री नानूराम गाडरी निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 04.10.2022

उपस्थित–1– अम्बालाल कुमावत– प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भोपालगढ, पटवार हल्का भोपालगढ़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 199/2 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम भोपालगढ, पटवार हल्का भोपालगढ़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 199/2 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर खातेदार है। प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते हैं तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतःएंव

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम भोपालगढ, पटवार हल्का भोपालगढ़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 199/2 कुल खसरा 01 कुल रकबा 0.5058 हैक्टेयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 100/– रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ संबंधित मद में प्रार्थी जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक पुर 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा

होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 पुर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा